हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 12 अंक : 8 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 अगस्त, 2021

समता आन्दोलन
हर इन्सान-एक समान

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू (27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

127वां संविधान संशोधन विधेयक सदन में पारित- शीर्ष कोर्ट का फैसला पलटा

राज्य बना सकेंगे ओबीसी सूची

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष ने पूरे सत्र के दौरान भारी हंगामा किया। लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से जुड़े 127वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर एकजुट होते हुये लोकसभा एवं राज्यसभा ने पारित कर दिया। लोकसभा में इसके पक्ष में 385 एवं राज्य सभा में 187 मत पड़े और विरोध में एक भी नहीं।

इस विधेयक के अनुसार अब राज्यों को सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण की अपनी सूची तैयार करने का अधिकार मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राज्यों के ओबीसी सूची तैयार करने पर रोक लगा कहा था कि केवल केन्द्र सरकार को ही ओबीसी की सूची तैयार करने का हक होगा।

सामाजिक न्यायमंत्री डा. वीरेन्द्र कुमार ने लोकसभा में ये बिल पेश करते हुये कहा कि विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों के मुख्यमंत्री भी लगातार इस विधेयक को लाने की मांग कर रहे है।

> यह एक ऐतिहासिक क्षण है। यह सरकार की वंचित वर्गों की गरिमा, अवसर और न्याय सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
>
> नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

अन्यथा ओबीसी आरक्षण समाप्त हो जाता

सामाजिक न्याय मंत्री वीरेन्द्र कुमार ने लोकसभा में विधेयक पर चर्चा का प्रस्ताव रखते हुये कहा, 102वें संविधान संशोधन से रज्यों के अधिकार हटा दिये गये थे, जबकि राष्ट्रीय ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिय गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन की व्याख्या करते हुये ओबीसी की राज्यों की सूची हटा दी गई थी। इसके चलते 671 ओबीसी समुदायों के शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण समाप्त हो जाता है। ऐसे में राज्यों की सूची बनाए रखने के लिए संशोधन जरूरी हो गया है।

क्या बदलेगा

* हरियाणा में जाट, गुजरात में पटेल, कर्नाटक में लिंगायत, और महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आन्दोलन। राज्य सरकारें दे सकेगी आरक्षण।
* इस बिल के अनुसार अब राज्यों को सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण की अपनी सूची तैयार करने का अधिकार मिलेगा।
* वर्ष 2018 के संविधान संशोधन से ओबीसी सूची का अधिकार राष्ट्रपति को। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये अधिकार केन्द्र को दिये।

उत्तर प्रदेश में ओबीसी कोटे को तीन भागों में बांटने की तैयारी, जुड़ेगी 39 नई जातियॉ

लखनऊ। अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों में अन्य जातियों को जोड़ने का अधिकार राज्य सरकारों को देकर भाजपा सरकार ने एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है। यूपी में योगी सरकार ओबीसी की सूची में 39 ऊंची जातियों को जोड़कर जहॉ इन्हें खुश करना चाहती है, वहीं पिछड़े वर्ग को तीन श्रेणियों में बांटकर अति पिछड़ा वर्ग की जातियों को भी अपने पाले में करना चाहती है।

सामाजिक न्याय समिति की सिफारिशों को आधार मानकर सरकार ओबीसी के 27 फीसदी आरक्षण को पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में बांटने की तैयरी में है। यूपी में ओबीसी की आबादी प्रदेश की कुल जनसंख्या का 54 प्रतिशत मानी जाती है।

अधिक फायदे में यादव, कुर्मी व कुशवाहा

समिति के अनुसार ओबीसी आरक्षण का सर्वाधिक फायदा यादव, कुर्मी, कुशवाहा और जाट समुदाय ने लिया है। यूपी में ओबीसी में अभी 79 जातियॉ है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस सूची में 39 और जातियों को शामिल करने के संबंध में बैठक की।

27 प्रतिशत में होगा इस तरह विभाजन

ओबीसी के 27 प्रतिशत के आरक्षण को तीन हिस्सों में बांटा जाएगा। इसमें पिछड़ी जाति में यादव, कुर्मी, अहीर, जाट, सोनार, चौरसिया को रखा जायेगा इन्हें 7 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। अति पिछड़ा वर्ग की जातियों को 11 प्रतिशत व अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 9 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की है।

समता आन्दोलन ओबीसी कोटे को तीन भागों में बांटने व ईडब्ल्यूएस के मानदण्ड ओबीसी पर भी लागू करने की कई सालों से कर रहा है मांग

जयपुर । समता आन्दोलन समिति ओबीसी कोटे को तीन भागों में बांटने की मांग कई वर्षों से कर रहा है। समिति ने अपने ज्ञापनों में कहा है कि कुछ जातियॉ ओबीसी आरक्षण का अधिकतम लाभ हड़प रही है और कुछ जातियों का सरकारी सेवाओं में प्रतिशत नगण्य है। साथ ही ईडब्ल्यूएस के पांचों मानदण्ड ओबीसी पर भी लागू किये जाने की मांग भी समता आन्दोलन कर रहा है। ताकि वास्तविक पिछड़ों को लाभ मिल सके।

प्रदेश में ओबीसी में नई जाति जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं

आरक्षित होकर भी आरक्षण से दूर हैं, दो जातियां, कुछ जिलों में लाभ नहीं

जयपुर। प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की दो जातियां ऐसी है, जिनके साथ आरक्षण भी जिले के नाम से उनका भविष्य तय करते है।

इन दो जातियों के एक-एक जिले में रहने वाले परिवार और अन्य जाति के जालोर में रहने वाले परिवारों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सिफारिश के बावजूद आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। हालांकि प्रदेश में ओबीसी के लिए कोई नई जाति का प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

ओबीसी आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन पर बहस के बीच प्रदेश में ओबीसी आरक्षण में नई जातियां जोड़ने के मुद्दे पर पड़ताल में यह स्थिति सामने आई।

पड़ताल में यह भी साने आया कि विश्नोई तथा धौलपुर व भरतपुर के जाट जाति को केन्द्र की ओबीसी की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव विचाराधीन है, लेकिन सर्वे के अभाव में अटका हुआ है।

क्या है तीन जातियों का मामला

नातरायत पूर्व विधायक गणेश परमार ने बताया कि उनकी जाति ओबीसी में शामिल है, लेकिन उदयपुर व आसपास आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा।

खत्री छीपा बाडमेर निवासी के अनुसार उनकी जाति बाडमेर को छोड़कर प्रदेश में अन्य सभी जगह ओबीसी का लाभ ले रही है। बाडमेर में लाभ नहीं मिल रहा है।

हबशी ओबीसी आयोग के पूर्व सदस्य सचिव के अनुसार यह जाति जालोर के एक मोहल्ले तक सीमित है।

अध्यक्ष की कलम से

आओ सरकार को और मजबूत बनावें

साथियो।

तालिबान! कौन तालिबान? ओह...! वही जो एक धार्मिक ग्रंथ को संविधान मानकर दुनिया को हजार-बाहर सौ साल पीछे ले जाना चाहता है। और हमारे तीन पड़ौसी देश इस प्रतिगामी विचार का समर्थन कर रहे हैं? हॉ, वही।

भारत की वसुधैव कुटुम्बकम और पंचशील की अवधारणा पर खतरे के बादल मंडराने लगे है 'समस्या इतनी छोटी नहीं हैं कि इसे भविष्य पर छोड़कर निश्चित हुआ जा सके। समय है कि हर भारतीय जात, धर्म , सम्प्रदाय, क्षेत्रीयता के भाव को छोड़कर राष्ट्रीय भाव को सर्वोपरि माने।

देश है तो हम हैं। और ध्यान रहे कि धरती का टुकड़ा देश नहीं होता । उसे देश बनाता है जन। अब फिर से जन बनने का समय आ गया है। परस्पर विद्वेष और निजि स्वार्थ की सोच से बाहर आना होगा। बल्कि आना ही होगा। इसके लिये सहज-सरल तरीका है कि हम प्रदेश और केन्द्र सरकारों के प्रति ''मेरी सरकार'', ''हमारी सरकार'' को आदर्श बनावें और जीवन में ढालें

बड़े संकटों का मुकाबला करने के लिये सरकारों का मजबूत होना जरूरी है। सरकारों को मजबूत बनाती है निरपेक्ष जनता । पूरी दुनिया वर्तमान के सबसे कठिन और जटिल दौर से गुजर रही है। आईये अपनी सरकारों को और मजबूत बनावें।

जय समता।

सम्पादकीय

जाति आरक्षण कहीं भारत से लोकतंत्र को समाप्त न कर दें।

संभावना नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव होने लगा है कि भारत में आजादी के ठीक बाद जो जाति आरक्षण का कलंक लगा था वह देश से लोकतंत्र को समाप्त करने का कारक बनता जा रहा है। यह कोई सपना नहीं बल्कि यथार्थ है कि एक तरफ जहाँ देश आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र बेहद कमजोर होता दीखता है। यह सब अचानक नहीं हो सकता था अत: जात के जहर ने धीरे-धीरे अपना घातक असर देश की नाड़ियों को आहत किया हैं।

लोकतंत्र की नाड़ियाँ होती है अलग-अलग विचारधारा की पार्टियाँ। हालांकि ऐसे भी उदाहरण है जब पार्टियों ने अपनी विचारधारा से हटकर निर्णय किये और प्रश्न उठने पर उसे लोक आस्था से जोड़ दिया । उदाहरण के तौर पर डाकू माधोसिंह और फूलन देवी का चुनाव लड़ना अथवा पार्टियों द्वारा अपराधियों को टिकट देना आदि-आदि लेकिन इन सब के बावजूद लोकसेवा बड़ा कारक था। धीरे-धीरे यह लोकसेवा का तत्व कमजोर होता गया या समझे कि उसे कमजोर किया गया।

आज के सम्पादकीय का कारक तत्व यही है कि देश में सक्रिय पाटियों ने लोकसेवा के तत्व को लगभग नकार दिया है। हमने बार-बार लिखा है कि देश का लोकतंत्र पार्टीतंत्र में बदल चुका है। लेकिन इसका पुख्ता प्रमाण हमारे पास नहीं था। इसे संयोग ही माना जायेगा कि उत्तर प्रदेश के भावी चुनावों ने हमारे पूर्व के कथन पर सत्यापन की मुहर लगा दी है।

यह समाचार लोकतंत्र में आस्था रखने वालों को भीतर तक झकझोर डालने वाला है। यू पी की सत्तारूढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की यह घोषणा स्तब्ध कर देने वाली है। हालांकि दूसरी पार्टियाँ भी इसी नक्शे कदम पर काम रही हैं लेकिन लोकतंत्र के पार्टीतंत्र में बदलने का यह प्रत्यक्ष उदाहरण है इस खबर को देखकर साफ लगता है कि अब किसी भी प्रत्याशी का जन सेवा से जुड़ा काम कोई महत्व नहीं रखता है। बस पार्टी की मनमानी ही अब लोकतंत्र का पर्याय हो गया है??

हालांकि ये तथ्य बाहर नहीं आया है लेकिन छनकर आई बातों से पता लगता है कि आरक्षित वर्ग के विधायक और सांसद अपनी ही पार्टी को बार-बार जात आधारित आरक्षण की आक्रामक घौंस दिखाते हैं। परिणामत: लोकसेवा पर जात और उसके ऊपर पार्टी का शासन पसरने लगा और परिणाम ऊपर का तथ्य है! अब आशा 2026 के आरक्षित पदों के रोटेशन पुनरीक्षण से है। लेकिन हमें लगता है कि तब तक लोकतंत्र को इतना नुकसान हो चुका होगा कि उसकी भरपाई शायद ही हो पाये।

जातियाँ किस तरह लोकतंत्र का अपहरण कर चुकी हैं ये हम हाल के संसद सत्र में ओ.बी.सी. संशोधनबिल के मामले में प्रत्यक्ष देख चुके हैं कि सॉप-नेवले की तरह विरूद्ध दिखाई देती सभी पार्टियाँ इस संशोधन बिल पर खीसें निपोरते साथ खड़े दिखाई दिये । लोकतंत्र और कमजोर हुआ और वो भी जात के भय से!!! जय समता

- योगेश्वर झाड़सरिया

सीजेआई रमना की संसद में बिना चर्चा के कानून पारित करने व दागी उम्मीदवार के चुनाव पर चिन्ता।

पानाचंद जैन,पूर्व न्यायाधीश,राजस्थान हाई कोर्ट:

भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने बार एसोसियेशन की सभा में स्वतंत्रता की 75वीं वर्ष गांठ पर अपने संदेश में कहा कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के हेतु हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने यानि महात्मा गांधी, पं.जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेन्द्र प्रसाद आदि ने अपने प्रोफेशन को, सम्पत्ति को, परिवार आदि सभी का मोह त्यागा और हमें आजादी दिलाई। वस्तुत: उन्होंने बार के एडवोकेट्स को आव्हान किया कि वे वकालत के साथ ही जनता की भलाई पर सोचें तथा सार्वजनिक जीवन में जनता के सुख दु:ख के भागीदार बने और अपने सुख को दूसरों के दु:ख से बांटे। याद करें, उस कुर्बानी को जो हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने दी थी।

इसी अवसर पर अपने संदेश को जस्टिस रमना ने संसद में जिस पर हंगामा हो रहा है और हंगामें के बीच बिना चर्चा के कानून पारित हो रहे हैं, उस पर भी गम्भीर चिंता अभिव्यक्त की। उन्होंने चिंता के स्वर में कहा कि आज के कानून बिना चर्चा व सेलेक्ट कमेटी के द्वारा चिन्तन (चर्चा) के बिना हंगामे में पारित होने से कानून में स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है, कई गलतियां रह जाती हैं जिनके कारण अर्थ व भाव अस्पष्ट रह जाता है। हमारे समक्ष जब ऐसे कानून समीक्षा के हेतु आते हैं तो हम समक्ष नहीं पाते हैं कि कानून लाने का उद्देश्य क्या था? फलस्वरूप अस्पष्टता के कारण विवाद बढ़ते हैं और जनता को असुविधा होती है और समाज को हानि होती है। चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि यदि संसद के विद्वान और एडवोकेट्स सांसदों के रूप में हो तो अच्छे कानून बनेंगे और कोर्ट को भी कानूनों की समीक्षा में आसानी होगी। उन्होंने कहा पूर्व में संसद में गम्भीर बहस होती थी और पूर्ण चिन्तन के बाद कानून बनते थे। अपनी बात स्पष्ट करते हुये उन्होंने पूर्व की एक घटना का उल्लेख किया जब औद्योगिक विवाद अधिनियम पर चर्चा हुई थी तामिलनाडू के सांसद श्री रामपूर्ति ने अपनी चर्चा से कानून के प्रत्येक अंग को स्पष्टता दी थी। 15 अगस्त 2021 की सभा में उक्त संदेश देने से चार दिन पूर्व ही सुप्रीम कोर्ट की एक खण्डपीठ ने जिसमें मुख्य न्यायाधीश रमना थे। मुख्य न्यायाधीश ने संसद में जो सांसद हैं, उनमें कई लोगों के ऊपर संगीन मुकदमें चल रहे हैं, इस पर गम्भीर चिन्ता प्रकट की तथा इस बाबत भी अपनी प्रतिक्रिया को अभिव्यक्त किया कि ऐसे केसेज हैं जो सांसदों व विधायकों को विरूद्ध चल रहे हैं, सरकार उन्हें विद्ड़ो कर रही है। बहुत समय पूर्व सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा था कि देश के मतदाताओं को यह अधिकार प्राप्त है कि उन्हें उनके हेतु कानून बनाने वालों के चरित्र की जानकारी होना चाहिये वे कितने पढ़े-लिखे हैं तथा क्या उनका चरित्र दागी तो नहीं हैं? एसोसियेशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफोर्मस् ने एक रिट याचिका नं. 8257/1999 दिल्ली हाईकोर्ट में पेश की थी। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह निर्देशन दिये थे कि मतदाताओं को यह जानकारी होनी चाहिये कि उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता क्या है, तथा क्या वह विधान सभा अथवा संसद के विषय के कार्य करने की जानकारी रखते हैं और उसके योग्य है तथा उसके विरूद्ध कोई अपराध के संबंध में केस तो कोर्ट में लम्बित नहीं है और उसके पास की सम्पत्ति की कीमत क्या है? कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस हेतु उचित निर्देश जारी करने की हिदायत दी गई । दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय के विरूद्ध भारत संघ ने सुप्रीम कोर्ट में अपील प्रस्तुत की और मांग कि इलेक्शन कमीशन के स्थान पर यह निर्देश होना चाहिये था कि प्रार्थी संसद से उचित कानून बनवाये । सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग निर्देश जारी कर उम्मीदवार से शपथ पत्र पर उक्त सूचनायें प्रकाशित करें, क्योंकि मतदाताओं को इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, परन्तु चुनाव आयोग ने स्वयं जानकारी चाहने हेतु कोई निर्देश जारी नहीं दिये और लॉ मंत्रालय को लिखा कि चुनाव नियमों में तत्संबंधित सूचनायें दिये जाने के नियम बनाये । केन्द्र सरकार ने नियम नहीं बनाये, फलस्वरूप चुनाव आयोग ने स्वयं निर्देशन जारी किये। यहां भी सरकार व राजनैतिक दलों को यह निर्देश भी रूचिकर नहीं लगा। सरकार बिल लेकर आई, किन्तु समय पर बिल भी कानून नहीं बन सका । बाद में स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी शैक्षणिक योग्यता का तथा फौजदारी मुकदमों का उल्लेख शपथपत्र पर देना होगा। यह व्यवस्था भी औपचारिकता मात्र थी। वस्तुत: शिक्षा की अनिवार्यता कानून में होनी चाहिये तथा यह भी व्यवस्था हो कि उम्मीदवार ऐसा हो जो संविधान के अनुच्छेद 51क अनुसार अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभावे। ऐसे व्यक्ति को जो हिंसा में लिप्त हो तथा सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा चुका है, उसे चुनाव लडने से डिसक्वालिफाई करना होगा। अनुच्छेद 51क घोषणा करता है कि इस देश का नागरिक हिंसा से दूर रहेगा और सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करेगा तथा प्राणी मात्र के प्रति करूणा का भाव रखेगा। मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रमना, जस्टिस विनीत सरण व जस्टिस सूर्यकान्त की खण्डपीठ ने इस प्रसंग पर चिंता व्यक्ति की कि सांसद विधायकों पर जो फौजदारी मुकदमें दायर हुये है उनके निस्तारण में बहुत विलम्ब हो रहा है। सरकार मुकदमों की स्टेटस रिपोर्ट भी पेश नहीं कर रही है। केस में बहस के उपरान्त माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी अभिव्यक्त करते हुये निम्नलिखित निर्देश दिये:- कोई भी मुकदमा जो सांसदों/विधायकों के विरूद्ध कोर्ट में लम्बित है, उसे संबंधित हाईकोर्ट की अनुमति के बिना विड्रो नहीं किया जावे। जो न्यायाधीश इनके मुकदमें सुन रहे है, उनका ट्रांस्फर बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय समय-समय पर और विशेषतौर पर अश्वनी कुमार, ब्रिजेश सिंह बनाम सुनील अरोरा आदि के केस में निम्नलिखित निर्देश दिये है:- राजनैतिक पार्टियां उम्मीदवार के विरूद्ध लम्बित फौजदारी मुकदमों की जानकारी वेबसाईट पर देंगे। चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह ऐप तैयार करे तथा मोबाईल एप्लीकेशन का प्रयोग कर जहां फौजदारी केसेज का पूर्ण विवरण तत्काल मिल सके। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया व टीवी पर भी इसकी जानकारी दी जानी चाहिये कोर्ट ने स्पेशल सेल इस हेतु बनाने का सुझाव भी दिया। माननीय न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है यदि कोई राजनैतिक पार्टी इन निर्देशों की पालना नहीं करते है तो कोर्ट को इसकी सूचना दी जावे। निर्देशों की पालना न करने पर कोर्ट की अवमानना का केस चलाया जावेगा। न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि दागी उम्मीदवारों को सांसद व विधायक यानी कानून बनाने वाला नहीं बनना चाहिये। कोर्ट ने कहा कानून की स्थिति के अनुसार हमारा अधिकार क्षेत्र कानून बनाने का नहीं है, किन्तु हम कार्यपालिका व विधायिका की आत्मा को तो झकझोर ही सकते है।

संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को असीमित अधिकार दिये है। चुनाव आयोग को विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के तीनों अधिकार है। अत: चुनाव आयोग इस संबंध में कानून बना सकता है। यों भी चुनाव कानून में चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार के लिए शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान आवश्यक रूप से होना चाहिये साथ ही एक विशिष्ट प्रकार के फौजदारी मुकदमों के लम्बित पाये जाने वाले उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करना चाहिये। एक तरीका यह भी है कि देश का नागरिक जो चुनाव में खड़ा है वह नागरिकों के कर्तव्यों की पालना करने वाला होना चाहिये। दंगों में लिप्त व्यक्तियों को तथा सार्वजनिक सम्पत्ति को नष्ट करने वालों को जो अपना कर्तव्य धर्म नहीं निभा पा रहे है उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हमारा प्रयत्न हो कि चुनाव पारदर्शी व स्वच्छ हो। उम्मीदवार चरित्रवान हो तथा कर्तव्य निष्ठ हो। गणतंत्र उसी समय सच्चा गणतंत्र व सफल होगा जब चुनावों में पढ़े-लिखे, गुणी व्यक्ति तथा चरित्रवान व्यक्ति खड़े हो। **उसी समय हमारे कानून भी दोष मुक्त बनेगें जब चर्चा के बाद कानून पारित होंगे।** दागी व्यक्तियों को कानून बनाने वाला नहीं बनाना चाहिये। सत्यमेव जयते। सौजन्य से: राष्ट्रदूत

पौराणिक कथन : 'काश्यप'

एक साम संहिता-कर्ता। भगवान परशुराम के यज्ञ में अध्वर्यु थे, इन्हें सारी पृथ्वी दान में मिली थी।

जातिवाद के हैं जयकारे,
सब जीते अपना मन मारे।
संसद संविधान असमंजस-
लोक तत्व खतरे में सारे।।

कविता

"कौशल मारा जायेगा"

5 साल डिग्री कमा कर
भी बर्बाद हो गया
जनरल कास्ट में जन्म लेना
अब अपराध हो गया।
गरीब बाप के एक बेटे को
संविधान ने तोड़ दिया
ऊँची जात का ठप्पा लगा
आरक्षण ने निचोड़ दिया।
पढ़ाई लिखाई के खर्चे से
पिता को कर्जा मार गया
80 प्रतिशत लेकर बेटा
40 प्रतिशत से हार गया।
वोट बैंक के आगे हारा
तेज दिमाग बेचारे का
आरक्षण ने गला घोंटा
माँ के अकेले सहारे का।
आरक्षण का ऐसा खेल
भारत में खेला जाता है
बांध कर पैर घोड़े के
अनपढ़ गधे को जिताता है
फेंकी हुई रोटी खाकर देखो
एक कुत्ता ऐश में पलता है
हुनर से ज्यादा भारत में
कास्ट सर्टिफिकेट चलता है।
खुद को मासूम बताते
जनरल के हाथ काट कर
अनपढ़ डॉक्टर इंजीनियर बनते
आरक्षण को चाट कर।
हम भी तो गरीब हैं यारों
पर सवर्ण पुकारे जाते हैं
सरेआम हराने की हिम्मत नहीं
कोटे से मारे जाते हैं।
इन आस लगायी आँखों से
कब लहू उतारा जायेगा
पता नहीं कितनों का यूँ ही
'कौशल' मारा जायेगा।

(सोशल मीडिया से साभार)

संविधान का अर्थ निरूपण और न्यायाधीशों की भूमिका

गतांग से आगे:-

अंतिम दलील

हर बार हर मामले में एक अंतिम दलील दी जाती है, जैसे-यदि अमुक सक्रियतावादी सुझाव पर अमल नहीं किया जाता तो अत्यंत विकट समस्या का सामना करना पड़ेगा। ''पीड़ियों से सामाजिक न्याय से वंचित कोई जागरूक मानव-समूह ज्यादा समय तक शांत नहीं बैठा रहेगा, बल्कि दलित चीतों के रूप में वह उठ खड़ा होगा, जैसे-एक अन्य देश में काले चीतों ने किया था। ''न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर की चेतावनी है। अत: सरकारी सेवाओं में सामाजिक समानता और आर्थिक संतुलन की दिशा में और अधिक प्रशासनिक प्रयास की आवश्यकता है और जो सरकार इस दलित समूह को ऊपर उठाने में असफल रह जाती है, वह हरिजन कल्याण के नाम पर जनता को मूर्ख बनाती है। इसलिए न्यायाधीशों को वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिये और भित्तिलेख को पढने के लिए सतर्क रहना चाहिए। जब कानून सामूहिक न्याय के दरवाजे बंद कर देता है, तब दलित वर्ग गलियों में उतर आता है। हमारे संविधान-निर्माता उस प्रत्यक्ष कारवाई से अनभिज्ञ नहीं थे, जिसमें मौलिक न्याय को लंबे समय तक रोककर रखा गया था। कानून का नैदानिक अध्ययन की यथार्थ निवारण परिणाम दे सकता है।

इस प्रकार आशाओं को अप्राप्य बिंदु तक ऊपर उठाकर और इस तरह की भड़काऊ टिप्पणी करके तथा फिर, संतुलन स्थापित करने का काम कार्यपालिका पर छोड़कर क्या ये न्यायाधीश स्वंय उपर्युक्त प्रतिक्रिया के लिए माहौल नहीं तैयार कर रहे हैं?

लेकिन इन सब बातों का किसी

अनुच्छेद 16(1) और 16(2) के दो वैकल्पिक अर्थ-निरूपण को देखते हुए में कहना चाहता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय को कुछ इस प्रकार अर्थ-निरूपण करना चाहिए, ताकि उसके माध्यम से हीनता की उस भावना को मिठाया जा सके, जिसमें भारतीय नीति को क्षति पहुँचाई हैं, और इस प्रकार बीमारी समस्या को दबाकर उपचार को बढाया दिया जा सके।

सक्रियतावादी न्यायाधीश पर क्या फर्क पड़ता है, जो संविधान को सामाजिक क्रांति का एक माध्यम मान बैठा है। वह तो यह भी कहते हैं कि ''न्यायिक स्वतंत्रता का एक आयाम है, जिसे कुछेक स्वतंत्रता-प्रेमियों द्वारा साकार रूप नहीं दिया गया है। जन-उन्माद के खतरे के कारण न्यायालय संविधान के प्रति अपनी सच्ची प्रतिबद्धता से विचलित नहीं होगा। न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर डॉ. अंबडेकर की उस चेतावनी का स्मरण करते हुए कहते हैं जिसमें उन्होंने गणराज्य में फूट के प्रति सचेत किया था। डॉ. अंबेडकर ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए अंत में कहा था कि आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अस्तित्व में नहीं आ सकती । और जैसा डॉ. अंबेडकर ने कहा था, हमारे यहाँ आर्थिक और सामाजिक-दोनों प्रकार की स्वतंत्रता का अभाव है। हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन को समानता से कब तक वंचित करके रखेंगे? डॉ. अंबेडकर ने प्रश्न किया था। आखिर हम कब तक इस तरह विरोधाभासों में जीते रहगें? यदि हमने अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन को लंबे समय तक समानता से वंचित करके रखा तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही खतरे में डालेंगे। आगे के शब्दों पर न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने विशेष बल दिया था- हमें इस विरोधाभासी स्थिति को शीघ्रातिशीघ्र दूर करना चाहिए, अन्यथा असमानता की पीड़ा झेलनेवाले लोग राजनीतिक लोकतंत्र के ढाँचे को ध्वस्त कर देंगे, जिसे इस संविधान सभा ने इतनी मेहनत से तैयार किया है।

ऐसा होना चाहिए, नहीं तो जोरदार तूफान आ जाएगा। अंतिम दलील के रूप में इस चेतावनी के बाद माननीय न्यायाधीश सीधे न्यायपालिका को भी सचेत करने लगते है। सामाजिक व्यवस्था को सामूहिक अन्यथा एवं असमानताओं को दूर करने के लिए नई रणनीतियाँ अपनानी चाहिए, अन्यथा समाज में आधातकारी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मानवीय संदर्भ में बात करें तो संतुलन और समानता की स्थिति निर्बलों के उद्धार तथा सरकार द्वारा अपनाई जानेवाली ठोस, सृजनात्मक और विधिक रणनीतियों के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं, समानता की घोषणा कर देने मात्र से नहीं। और फिर बी.बी.सी. के प्रसारण की बात याद आ जाती है। निर्बलों के पक्ष में सकारात्मक रूप से भेद करना कभी-कभी कानून के समक्ष वास्तविक समानता को बढाया देना हो सकता है, जैसा एंथनी लेस्टर ने बी.बी.सी. में अपनी बातचीत कानून में गड़बड़ी के दौरान सन् 1970 में कहा था। एक कानून का अर्थ शेर है और बेल अत्याचार । या फिर जैसा एनातोली फ्रांस द्वारा एक अन्य युग के संदर्भ में कहा गया था कानून सभी के लिए समान होता है । वह गरीब और अमीर दोनों को पुल के नीचे सोने, गलियों या सड़कों पर भीख माँगने और रोटी चुराने से रोकता है।

... शेष अगले अंक में

अरूण शौरी की पुस्तक 'आरक्षण का दंश' से साभार

समता आन्दोलन ने सामाजिक वानिकी के पथ पर बढाये कदम

समता आन्दोलन का एक करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य

जयपुर। पिछले कई सालों से अनौपचारिक रूप से वृक्षारोपण करके समता आन्दोलन अपनी सामाजिक वानिकी की भूमिका छुट-पुट रूप से निभाता रहा है। अब इसे एक प्रदेश स्तरीय अनुष्ठान के रूप में स्थापित करने के लिए एक विस्तृत योजना का पत्र मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वन विभाग, विधानसभा अध्यक्ष, ग्रामीण विकास विभाग और रिको को भेज कर तरतीबवार बताया गया है कि किस तरह एक करोड़ पौधों को प्रदेश में लगाया जा सकता है। योजना में प्रत्येक पौधे के साथ लगने वाले ट्रीगार्ड सहित अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग तरह के पौधों की पहचान बताते हुये उनके लिए आर्थिक भाव भूमि बताई गई है।

उल्लेखनीय है कि रिको की तरफ से पहल करते हुये पूरे प्रदेश में अपने अधिकार क्षेत्र की भूमि पर समता पीपल व बरगद वन लगाने के लिए समता आन्दोलन को सहयोग करने के लिए सभी इकाई प्रभारियों को निर्देश भी पारित कर दिये गये है।

बीकानेर में वैदिक मंत्रोचारण से शुरू हुआ वृक्षारोपण का कार्य

धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज द्वारा स्थापित धर्म संघ परम्परा के अन्तर्गत संचालित सागर स्थित ''राम-लक्ष्मण आश्रम'' के अधिष्ठाता संत श्री श्रीधर जी महाराज की प्रेरणा से समता आन्दोलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा एवं सदस्यों द्वारा राम-लक्ष्मण आश्रम को सघन उपवन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से वेदमंत्रो उच्चारण के बीच अशोक, जामुन, अमरूद, आंवला, शहतूत, आम, बेल पत्र, नागचम्पा, अजुर्न, करंज आदि के 121 पौधे लगाए गए।

पौधारोपण कार्यक्रम में पाराशर नारायण शर्मा, कुन्दनमल बोहरा, सीताराम कच्छावा, मोहनलाल जाजड़ा, एडवोकेट ओमप्रकाश शर्मा, कैप्टन गुरविन्द्र सिंह, महेश शर्मा, दुर्गेश गोदारा तथा मधुसुदन बोहरा ने सपत्नीक भाग लेकर पौधे लगाए। इस आश्रम में संचालित वेद विज्ञान संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य विशाल शर्मा ने बताया कि संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थियों ने इन पौधो की देखरेख करने का दायित्व लिया है।

भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का आह्वान

आयुर्वेद अपनाइये, कोरोना भगाइये।

मान्यवर,

हजारों वर्षों से परखी हुई भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद एवं योग पर आधारित कोविड-19 (कोरोना) महामारी से बचाव, उपचार एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा प्रबन्धन प्रोटोकॉल दिनांक 06.10.2020 को जारी किया गया है। यह प्रोटोकॉल राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद और योग के छः प्रतिष्ठित संस्थानों (AIIA, IPGTRA, NIA, CCRAS, CCRYN और अन्य राष्ट्रीय शोध संगठनों) के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है।

1. कोविड-19 से बचाव के उपाय :

A. सामान्य और शारीरिक उपाय : (i) शारीरिक दूरी, श्वसन और हाथ की स्वच्छता रखें, मास्क पहनें (ii) एक-एक चुटकी हल्दी और नमक के गर्म पानी से गरारे करें (iii) घर से बाहर जाने और वापस आने पर अणु तैल/षड्बिन्दु तैल/तिल तैल/नारियल तैल या गाय का घी नाक में डालें (iv) अजवाईन या पुदीना या नीलगिरि तैल के साथ दिन में एक बार भाप लेना (v) नींद 7-8 घंटे (vi) मध्यम शारीरिक व्यायाम तथा (vii) योग (प्राणायाम आदि) प्रोटोकॉल (संलग्नक-एक व दो) का पालन करें।

B. आहार सम्बन्धी उपाय: (i) अदरक या धनिया या तुलसी या जीरा डालकर उबला हुआ पानी पीएँ (ii) ताजा, गर्म, संतुलित आहार लें (iii) रात्रि में गोल्डन मिल्क (150 मिली गर्म दूध में तीन ग्राम हल्दी चूर्ण) लेवें (iv) आयुष काढ़ा दिन में एक बार लेवें।

C. उच्च जोखिम आबादी या सम्पर्कों में कोविड-19 से बचने के लिए: (i) अश्वगंधा का 500 मिलीग्राम एक्स्ट्रेक्ट या 1-3 ग्राम चूर्ण एक माह तक दिन में दो बार गर्म पानी से लें (ii) गुडूची घनवटी/गिलोय घनवटी/संशमनी वटी का 500 मि.ग्रा.एक्स्ट्रेक्ट या 1-3 ग्राम चूर्ण एक माह तक दिन में दो बार गर्म पानी से (iii) च्यवनप्राश 10 ग्राम गर्म पानी/दूध के साथ प्रति दिन लेवें।

2. लक्षण रहित कोविड-19 पोजिटिव मरीज का उपचार :

(I) गुडूची घनवटी/गिलोय घनवटी/संशमनी वटी का 500 मिलीग्राम एक्स्ट्रेक्ट या 1-3 ग्राम चूर्ण एक माह तक दिन में दो बार गर्म पानी से (ii) गुडूची + पिप्पली का जलीय एक्स्ट्रेक्ट 375 मिलीग्राम लगातार 15 दिनों तक गर्म पानी से दिन में दो बार (iii) आयुष-64 (500 मिलीग्राम) लगातार 15 दिनों तक दिन में दो बार गर्म पानी से लेवें।

3. हल्का कोविड-19 पोजिटिव मरीज का उपचार : (बुखार, थकान, सूखी खाँसी, गले में खरास, नाक बंद लेकिन श्वास फूलने से पहले)

(I) गुडूची + पिप्पली का जलीय एक्स्ट्रेक्ट 375 मिलीग्राम लगातार 15 दिनों तक दिन में दो बार गर्म पानी से (ii) आयुष-64 (500 मिलीग्राम) लगातार 15 दिनों तक दिन में दो बार गर्म पानी से लेवें।

4. हल्का कोविड-19 पोजिटिव मरीज का विशेष उपचार :

(I) शारीरिक दर्द/ सिरदर्द के साथ बुखार के लिए नागरादि कषाय (ii) खाँसी के लिए शहद के साथ सितोपलादि चूर्ण गले में खरास/स्वाद में कमी के लिए व्योषादि वटी (iii) थकान के लिए च्यवनप्राश (iv) हाइपोक्सिया के लिए वासावलेह (v) दस्त के लिए कुटज घनवटी और श्वास फूलने पर कनकासव भी संलग्नक-3 के अनुसार या आयुर्वेद चिकित्सक के परामर्श अनुसार ले सकते हैं।

5. कोविड-19 पश्चात् उपचार : (i) अश्वगंधा का एक्स्ट्रेक्ट 500 मिलिग्राम या चूर्ण 1-3 ग्राम एक माह तक गर्म पानी से दिन में दो बार (ii) च्यवनप्राश 10 ग्राम प्रतिदिन गर्म पानी/दूध के साथ एक बार (iii) रसायन चूर्ण एक माह तक प्रतिदिन शहद के साथ दो बार।

6. कोविड-19 की रोकथाम के लिए तथा कोविड-19 के बाद परिचर्या के लिए योग (प्राणायाम आदि) :

संलग्नक-1 एवं 2 में योग प्रोटोकॉल 45 मिनिट एवं 30 मिनिट की अलग-अलग सारणी में बताये गये हैं, इनकी नियमित पालना भी आवश्यक है।

नोट:- उपर्युक्त प्रोटोकॉल (तीनों संलग्नकों सहित) की विस्तृत जानकारी भारत सरकार आयुष मंत्रालय की वेबसाईट पर एवं समता आंदोलन की वेबसाइट www.samtaandolan.co.in के होम पेज पर उपलब्ध है जिसका गम्भीरता से अवलोकन और पालन करेंगे तो शीघ्र ही भारत देश कोविड-19 से मुक्त हो जायेगा। कृपया आयुर्वेद एवं मानवता की सेवा के लिए इस पैम्फलेट को लगातार प्रचारित करते रहें। सादर।

निवेदक : समता आन्दोलन समिति (रजि.)

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in